"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर 2009—भाद्र 23, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-17/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम चिरमिरी, जिला-कोरिया के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	12	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
		21	बी. बी. लाहिड़ी वार्ड
		39	गुरूनानक वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	23	डॉ. अंबेडकर वार्ड
		36	राजीव गांधी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	मालवीय नगर वार्ड
		3	संत तुकाराम वार्ड
		4	शास्त्री वार्ड
		9	विनोबा भावे वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	2	अब्दुल हमीद वार्ड
		34	अहिल्याबाई वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	मौलाना आजाद वार्ड
		7	गंगाधर तिलक वार्ड
		16	संत रामकृष्ण वार्ड
		24	गुरूघासीदास वार्ड
		25	विवेकानंद वार्ड
		38	सरोजनी नायडू वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	तानसेन वार्ड
		10	महात्मा गांधी वार्ड
		28	संत कालीदास वार्ड
	महिला वर्ग	6	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड
		14	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		20	नेताजी सुभाषचंद्र वार्ड
		27	संत गौतम बुद्ध वार्ड
		29	इंदिरा वार्ड
		30	महाराणा प्रताप वार्ड

Raipur, the 11th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-17/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Corporation Chirmiri, Distt. Koria is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	12	Dr. Radhakreshna Ward
		21	B. B. Lahedi Ward
		39	Gurunanak Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	23	Dr. Ambedkar Ward
		36	Rajeev Gandhi Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Scheduled Tribes	1	Malveya Nagar Ward
		3	Sant Tukaram Ward
		4	Shastri Ward
		9	Venoba Bhabay Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	2	Abdul Hamed Ward
		34	Ahelyabai Ward
5.	Other Backward Class	5	Maulana Abdul Kalam Ward
		7	Gangadhar Tilak Ward
		16	Sant Ramkrisna Ward
		24	Guru Ghasidas Ward
		25	Vevaknand Ward
		38	Sarojni Naydu Ward
6.	Other Backward Class (Female)	8	Tansen Ward
		10	Mahatma Gandhi Ward
		28	Sant Kalidas Ward
7.	Female	6	Swami Dayanand Saraswati Ward
		14	Chandra Sekhar Ward
		20	Netaji Subhashchandra Ward
		27	Sant Guatam Budha Ward
		29	Indira Ward
		30	Maharana Pratap Ward

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-17/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	11	शिवाजी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	नानक वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	सेन्ट्रल हा. वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	3	शास्त्री वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	8 9 19	मालवीय वार्ड चितरंजन वार्ड इंदिरा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1 7	संजय वार्ड विवेकानंद वार्ड
7.	महिला वर्ग	5 10 18	भगत सिंह वार्ड अम्बेडकर वार्ड तिलक वार्ड

Raipur, the 11th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-17/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Manendragarh, Distt. Koria is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	11	Shivaji Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Nanak Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Central Ha. Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	3	Shastri Ward
5.	Other Backward Class	8 9 19	Malvay Ward Chitranjan Ward Indira Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1 7	Sanjay Ward Vevaknand Ward
7.	Female	5 10 18	Bhagat Singh Ward Ambedkar Ward Tilak Ward

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-17/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत झगराखण्ड, जिला-कोरिया के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	10	नेहरू वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	नानक वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	5	शास्त्री वार्ड
		13	सुभाष वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	11	तिलक वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	भगत सिंह वार्ड
		2	महात्मा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	9	अम्बेडकर वार्ड
7.	महिला वर्ग	4	शिवाजी वार्ड
		7	महाराणा प्रताप वार्ड

Raipur, the 11th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-17/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Jhagrakhand, Distt. Koria is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	10	Nehru Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)	14	Nanak Ward
3.	Scheduled Tribes	5	Shastri Ward
		13	Subhash Chandra Bose Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	11	Tilak Ward
5.	Other Backward Class	1	Bhagat Singh Ward
		2	Mahatma Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	9	Ambedkar Ward
7.	Female	4	Shivaji Ward
		7	Maharana Prarap Ward

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.